

18/02/2024 पत्रावली पेशा डूरी निर्णय
जब डिप्टी की पालना में
राजस्व रिकार्ड में अमल
हरामद हो चुका है लिहाजा
पत्रावली में कोई कार्रवाई
होपेक्षित नहीं। पत्रावली
फैसल शुमा व दर्ज नम्बर
से कर होकर दाखिल
करा है। सिंध

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

